बीस रुपये TWENTY RUPEES

(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

II/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/2543

प्रकरण क्रमांक / 2018

रामसेवक शर्मा
द्वारा आज दि. 24-4-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 9-5-18 नियत।
24-4-18
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

देवशरण शर्मा पुत्र स्व0 महेश प्रसाद शर्मा,

आयु 45 वर्ष, व्यवसाय- खेती निवासी ग्राम

बेहरवा, तह0 नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

--- निगरानीकर्ता / आवेदक

रामसेवक शर्मा एड
24.4.18

बनाम

(1)- नवलकिशोर त्रिपाठी पुत्र वंशगोपाल त्रिपाठी,

निवासी ग्राम बेहरवा, तह0 नागौद, जिला सतना

(2)- केशव प्रसाद तनय अम्बिका प्रसाद,

निवासी ग्राम बेहरवा, तह0 नागौद जिला सतना (म0प्र0)

(3)- म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी हल्का कपुरी,

तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

------ अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(क) सह नये संशोधन अधिनियम 2011 म0प्र0 भू राजस्व0सं0 विरुद्ध आदेश दिनांक 28-2-18 द्वारा पारित तहसीलदार नागौद, प्रकरण क्रमांक 1/अ-12/17-18 के निर्णय से दुखित होकर ।

---0----

माननीय,

आवेदक / निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, प्रकरण में नवलकिशोर त्रिपाठी द्वारा तहसीलदार नागौद

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2018/2543

देवशरण शर्मा विरूद्ध नवलकिशोर त्रिपाठी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री रामसेवक शर्मा अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार नागौद, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 1/अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–02–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 02–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 01.3.19	